(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

क्रमांक	योजनाओं के नाम	अनुमोदित राशि/ अनुमानित लागत जिसके खर्च किए जाने की संभावना है (लाख रु० में)
1.	बिलासपुर जिले में नैगा अनुसूचित जनजाति के 17 गांवों के लिए पेयजल	57.90
2.	सरगुजा जिले में पाण्डो जनजाति गांवों के लिए जल सप्लाई	122.70
3.	बस्तर जिले के लिए पेयजल सप्लाई हेतु समेकित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए घातिया परियोजना	341.50
5.	छिन्दवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए तामियां / संसर परियोजना	439.11
6.	20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों में पेयजल सप्लाई हेतु 9 योजनाएं	800.60
7.	रायपुर नगर में पेयजल सप्लाई में वृद्धि	3254.00

(घ) क्रमांक 1 पर दी गई परियोजना जून, 1993 में अनुमोदित की गई थी। क्रमांक 2 पर दी गई परियोजना 27 दिसम्बर, 1993 को अनुमोदित की गई थी। क्रमांक 3 पर दी गई परियोजना 18 फरवरी, 1994 को अनुमोदित की गई है। जहां तक क्रमांक 4 और 5 पर दी गई परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकार को 27 जनवरी, 1994 को सूचित किया गया था कि वे इन परियोजनाओं को उन्हें सौंपी गई शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृति दें। जहां तक त्वरित शहरी जल सप्लाई योजना के अंतर्गत छोटे नगरों को पीने का पानी सप्लाई करने की योजनाओं का संबंध है, योजना को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है और निधियां त्वरित शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद ही रिलीज की जा सकती हैं। क्रमांक 7 पर दी गई परियोजना 7.9.1993 को अनुमोदित की गई थी।

Fertilizer subsidy

*47. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what is the total amount of subsidy on fertilizers during 1993-94;

(b) whether it differs from one unit to the other; and

(c) what is the actual amount spent by Government towards subsidising fertilizers of different categories manufactured by various product on units item-wise, per metric tonne, manufactured by each unit?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) A provision of Rs. 4000/- crores (including a supplementary grant of Rs. 500/- crores obtained in December, 1993) has been made for 1993-94 for payment of subsidy on fertilizers.

(b) and (c) The difference between the cost of production of a particular manufacturing unit as assessed by the Government under the Retention-Price- cum-Subsidy Scheme and the realisation through sales at statutorily fixed consumer price, is paid as subsidy on a per tonne basis. The cost of production, including return on networth, so fixed differs from unit to unit depending upon the vintage of the plant, norms fixed for capacity utilisation and energy consumption, cost of inputs etc. Accordingly, subsidy paid to various units ranges from Rs. 575 to Rs 5585 per tonne of urea, from Rs. 1079 to Rs. 3220 per tonne of ammonium chloride, from Rs. 115 to Rs. 1022 per tonne of ammonium sulphate and from Rs. 317 to Rs. 1478 per tonne of calcium ammonium nitrate.

At present, only straight nitrogenous fertilizers mentioned above are covered under price control and subsidy scheme.

देश में औद्योगिक उत्पादन

*48. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचकांक वर्ष 1993-94 के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 1992-93 की तुलना में कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1993-94 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक संतोषजनक नहीं था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ङ) अक्तूबर, 1993 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नवीनतम त्वरित अनुमानों के अनुसार 1992-93 की 1.8 प्रतिशत विकास दर की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 1993 की समग्र औद्योगिक उत्पादन विकास दर 1.6 प्रतिशत थी। सरकार समय समय पर औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्तियों की समीक्षा करती है और औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

Provision of funds for issue of identity cards to voters

*49. SHRI N.E. BALARAM:
SHRI S.S. SURJEWALA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Election Commission has asked the State Governments to issue identity cards for voters within a specific period;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that many of the State Governments have demanded that the Centre should bear the expenditure for the same; and

(d) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) and (b) Yes, Sir. According to the time-schedule given by the Election Commission, award of contract to the agencies, completion of photography and lamination, completion of distribution of cards to electors (inlcuding consignment of duplicates) is to be completed by 28.2.94, 31.8.94 and 30.11.94 respectively.

(c) and (d) Most of the State Governments have expressed their inability to raise necessary resources for implementation of the scheme of photo indentity cards and have asked the Central Government to bear the entire cost of the scheme. The Central Government is examining various aspects of the issue including one relating to funding of the scheme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजी निवेश में वृद्धि

*50. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1994 में मार्च, 1993 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के 246 उपक्रमों में पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1995 में तथा मार्च, 1993 में इन उपक्रमों में कुल कितना-कितना पूंजी निवेश था;

(ग) क्या यह भी सच है कि मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इन उपक्रमों में होने वाली वित्तीय हानि की प्रतिशतता मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की तुलना में इनमें कुल पूंजी के संदर्भ में कम थी;

(घ) यदि नहीं, तो मार्च, 1992 तथा मार्च, 1993 में हानि की अलग-अलग प्रतिशतता कितनी थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन उपक्रमों में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ा दिये जाने की बावजूद वित्तीय हानि में कोई कमी नहीं आयी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस संबंध में सरकार ने कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) जी हां, महोदय। 31 मार्च, 1990 तथा 31 मार्च, 1993 तक सामान्य शेयर एवं ऋण के रूप में कुल पूंजी निवेश क्रमश: 93,329 करोड़ रुपये तथा 1,46,971 करोड़ रुपये का था।